आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद

एक कल्याणकारी राज्य में आदर्श पुलिस कार्यशैली

- कल्याणकारी राज्य - जिसमे नागरिकों को समान अधिकार तथा सभी के जीवन स्तर को उठाना उद्देश्य हो।
- पुलिस की भूमिका रक्षक ही नही, बल्कि मित्र, अभिभावक और संरक्षक की है।
- वर्तमान समय में पुलिस की भूमिका लोक कल्याणकारी एजेन्सी के रूप में कार्य करने की भी है।
- पुलिस को अपने कार्यो में सफलता के लिए जनता को भागीदार करना चाहिए।

- प्रजातन्त्र व समाजवादी संरचना के अनूरूप व्यवहार परिर्वतन।
- पुलिस का सामाजिक इंजीनियर के रूप में कार्य करना।
- पीडित के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए।
- अपराधों का सही पंजीकरण करना चाहिए।
- जनता के मध्य पुलिस के प्रति विश्वास की भावना जागृत करना।
- समाज के कमजोर वर्गों के गौरव की रक्षा।
- मित्र पुलिस की दिशा में कदम उठाना।

वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में पुलिस की परिवर्तनशील भूमिका - बलोन्मुखता से सेवोन्मुखता में परिवर्तन

- पुलिस की सफलता के लिए आवश्यक है- जनता द्वारा स्वीकारना तथा अपना सहयोगी व मददगार समझना
- वर्तमान में आवश्यक है पुलिस द्वारा लोगों का सम्मान किया जाना तथा जनता को महत्वपूर्ण और सम्मनित समझना
- पुलिस जनता की सेवक है, शासक नही , धारणा करना।
- बातचीत के दौरान अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करना।

- उत्तेजित व्यक्ति को शान्ति और सदभावपूर्वक शान्त करना , स्वयं उत्तेजित न होना।
- सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहे वह अमीर या गरीब।
- अपने किसी कार्य से नागरिकों को असुविधा या कष्ट न पहुंचाना।
- शिष्टता और सदाचार का व्यवहार जनता से करना।
- बल प्रयोग करने से बचना।
- हमेशा जनहित की बात सोचना और जनता की सेवा की भावना रखना ।

पुलिस आचरण के सिद्धान्त

- भारत सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए जुलाई 1985 में एक आचार संहिता निर्मित।
- गृह मन्त्रालय द्वारा सब राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस विभाग के प्रमुखों को भेजा गया।
- मुख्य बातें -

➢ संविधान के प्रति अटूट निष्ठा, नागरिकों के सम्मान की रक्षा।

➢ बिना भय, पक्षपात, वैमनस्य अथवा प्रतिशोध के कानून का पालन करना।

➢ अधिकारों और कार्यो की सीमाओं का ज्ञान।

➢ कानून का पालन करवाने में समझाने बुझाने सलाह तथा चेतावनी के तरीके काम में लाना तथा कम से कम बल प्रयोग करना।

- प्राथमिक कर्त्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
- पुलिस का समाज की ओर से नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाना।
- पुलिस के कर्तव्यो का कुशलतापूर्वक निर्वहन जनता से सहयोग प्राप्त करने पर सीधे निर्भर होना।
- पुलिस का सभी लोगो के प्रति संवेदनशील, मित्रवत होना।
- कर्तव्यहित आत्महित से ऊपर होना।
- पुलिस को सुसंस्कृत, विश्वसनीय, अनासक्त होना।
- उच्चतम श्रेणी की निष्ठा होना।
- उच्चतम श्रेणी का अनुशासन होना।
- वैयक्तिक पूर्वाग्रहो, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर कार्य करना।

पुलिस कार्यो में व्यवसायिकता

- व्यवसायिकता का तात्पर्य- प्रदर्शन व व्यवहार में उच्च आदर्शो नैतिकता, मानवीयता, परोपकार, सम्मान, नेतृत्व, जिम्मेदारी जवाबदेही का विकास
- पुलिस का लक्ष्य कानून का कुशलता से पालन कराना, साथ ही साथ कानून लागू कराने में मानवतावादी सोच अपनाना
- इसके लिए योग्यताएं तथा आवश्यक बातें-

i. मनोवैज्ञानिक रूप से समस्याओं को निपटाने की योग्यता
ii. विषम परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता
iii. मानव प्रबंन्ध व संसाधनों का विकास
iv. विवेचना में वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग
v. उच्च कोटि का प्रशिक्षण
vi. ऊचां मनोबल

vii. नेतृत्व क्षमता का विकास

Viii. तकनीकी गुणों का विकास करना

ix. कार्य दक्षता और कार्यक्षमता का विकास

x. मानवीय गुणों का विकास

xi. विधि का ज्ञान

xii. जन विश्वास अर्जित करना

xiii. विनम्रता और शिष्टाचार

xiv. आत्मनियन्त्रण एंव स्वाभिमान

xv. मनोविज्ञान का ज्ञान

सामाजिक-आर्थिक समस्यायें और पुलिस की भूमिका

- अपराध
- बढ़ते नगर- यातायात, भीड़ में बढ़ोत्तरी
- कानून एवं व्यवस्था
- भ्रष्टाचार
- अस्पृश्यता
- बेरोजगारी
- जातिवाद
- वेश्यावृत्ति
- बाल अपराध
- अत्यधिक भीड़-भाड़ व गन्दी बस्तियाँ

पुलिस की भूमिका-

- इस हेतु बनाये गये कानूनों का पालन कराना।
- क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य तथा सफाई के लिए प्रेरित करना।
- वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, बाल अपराध आदि के परिणामों से अवगत करा कर जनता को जागरुक करना।
- मलिन बस्तियों में अपराध तथा अपराधियों की अधिक सम्भावना के चलते पैनीं दृष्टि रखना।
- संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी करना।
- अभिसूचना संकलन कर आवश्यक कार्यवाही करना।

किसानों, छात्रों व श्रमिकों के आन्दोलन और पुलिस की भूमिका

- **किसान आन्दोलन-**

कारण-

- विभिन्न समस्याओं जैसे कृषि मूल्य का भुगतान,
- आपदा से फसल नष्ट होना,
- विद्युत आपूर्ति में अनियमितता आदि

पुलिस की भूमिका-

- सद्-व्यवहार करते हुए स्वाभिमान का ध्यान रखते हुए आन्दोलन स्थगित करने की अपील करना।
- किसान नेता को विश्वास में लेना।
- प्रशासन को उनकी बात पहुँचाने का आश्वासन देना।
- अमर्यादित भाषा न प्रयोग करना ताकि किसान उग्र न हों।
- इनकी आड़ में गुण्डे व आसामाजिक तत्वों के सक्रिय होने पर पैनीं दृष्टि रखना।

छात्र आन्दोलन-

कारण-

- फीस वृद्धि,
- प्रवेश
- परीक्षा से जुड़ी समस्या
- छात्र राजनीति

पुलिस की भूमिका-

- अपशब्द न कहना।
- समस्याओं को सक्षम अधिकारी के माध्यम से समाधान का आश्वासन।
- छात्र नेताओं को विश्वास में लेना।
- इनकी आड़ लेने वाले आसामाजिक तत्वों पर विधिक कार्यवाही करना।
- इन्हें गुमराह होने से बचाना।

श्रमिक आन्दोलन-

कारण-

- विभिन्न मांगों जैसे- मजदूरी में बृद्धि, मुआवजा, बोनस, आदि
- समस्याऐं जैसे- आवास, पानी, बिजली आदि

पुलिस की भूमिका-

- मजदूरों व उनके नेताओं एवं सेवायोजकों से निरन्तर सम्पर्क।
- शान्त स्वभाव से मामले को निपटाने का प्रयास।
- न्यूनतम बल प्रयोग।
- मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना।

कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा / पुलिस जनता साझेदारी

- शुरूआत वर्ष 1829 में सर राबर्ट पील द्वारा लंदन से
- भारत में पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात

आवश्यक तत्व-

- जनता एवं पुलिस के मध्य सम्प्रेषण के लिए आवश्यक वातावरण।
- पुलिस का सत्य, स्वच्छ, और निष्पक्ष व्यवहार।
- निरन्तर प्रयास तथा विफलता से हतोत्साहित न होना।
- पुलिस के मध्य जन-अभिमत प्राप्त करने की समस्या पर एकमतता।
- जनता से सहयोग, न कि परामर्श।
- पुलिस बल के सदस्यों का इस योजना में विश्वास।

पुलिस का जनता से सम्बन्ध

जनता तथा पुलिस के मध्य मधुर सम्बन्ध तथा विश्वसनीयता बनाने के लिए आवश्यक तत्व-

- पुलिस आधिकारियो को आम जनता के लिये अपनी उपलब्धता सहज बनाना।
- पीडित व्यक्ति की बात धैर्य और सहानुभूतिपूर्वक सुनकर शीघ्र कार्यवाही करना।
- भरोसेमंद सूचनाओं हेतु जनता से समन्वय बनाना।
- कठिनाई की घडी में पुलिस व जनता के बीच अच्छा सम्बन्ध आपसी विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक।

पुलिस का जनप्रतिनिधियो से सम्बन्ध

लोकतंत्र में सत्ता जनता जनप्रतिनिधि में निहित होने के कारण उनसे व्यवहार करते समय ध्यान देने योग्य बातें -

- जनप्रतिनिधियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर यदि आवश्यकता हो तो लिखकर उस पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करना।
- जनप्रतिनिधि द्वारा अनुचित कार्य बताने पर विनम्रता पूर्वक इनकार करना तथा शीघ्रता से सच्चाई से अवगत कराना।
- जनप्रतिनिधि से बात करते समय उत्तेजित न होना तथा संतुलन न बिगाड़ना।
- सीधी और सच्ची बात करना, शिष्टाचार का पालन करना।

पुलिस का स्वंयसेवी संस्थाओ से सम्बन्ध

- कार्य क्षेत्र में कार्यरत इन संगठनों के बारे में पूरी जानकारी होना।
- किसी समस्या या परिस्थिति उत्पन्न होने पर सम्पर्क करना।
- अच्छे सम्बन्ध होने पर उनसे सम्बन्धित समस्या को तुरन्त निपटाने में सहायता मिलना।
- गैर राजनैतिक व गैर साम्प्रदायिक संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में मेलजोल हेतु जाना।
- अपराध नियंत्रण में सहयोग प्राप्त करना।

विध्वंसकारी ताकतो से राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को चुनौतियाँ – साम्प्रदायिकता, रुढिवादिता, अतिवाद व आतंकवाद तथा चुनौतियों से मुकाबले में पुलिस की भूमिका

साम्प्रदायिकता की भावना के उदय में सहायक तत्व

- इस्लाम धर्म की कट्टरता।
- हिन्दू धर्म की संकीर्णता।
- विदेशी शासन तथा अंग्रेजो की फूट डालो और राज करो की नीति।
- हिन्दुओं द्वारा धर्म सुधार कार्यक्रम।
- साम्प्रदायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना।
- पृथक निर्वाचन तथा विशेष प्रतिनिधित्व की मांग।

साम्प्रदायिकता को रोकने में पुलिस की भूमिका

- अभिसूचना संकलन कर साम्प्रदायिकता को बढावा देने वाले तत्वों को चिन्हित कर विधिक कार्यवाही करना।
- साम्प्रदायिक दंगो के कारणों की जानकरी करना एवं उनका निराकरण कर भविष्य में पुनरावृत्ति रोकना।
- विभिन्न श्रोतों से इस सम्बन्ध में पूर्व सूचना संकलित करना तथा अफवाहों का खंडन करना।
- महत्वपूर्ण स्थलों एवं विवादित स्थलों पर पुलिस व अन्य बलों की नियुक्ति करना।
- छोटी छोटी घटनाओं को नजरंदाज न करना।

रुढ़िवादिता

जैसे:-

- समाज की बहुसंख्यक शूद्र जातियों को अछूत मानना, उनके कई कार्यों और पढने पर पाबंदी।
- बाल विवाह।
- बेमेल विवाह।
- सती प्रथा।
- पर्दा प्रथा।
- दहेज प्रथा।
- महिलाओं को घर से बाहर निकलने या किसी और से बात करने पर पाबंदी।

रुढिवादिता रोकने में पुलिस की भूमिका

- विभिन्न कानूनों जैसे (1) बाल विवाह अवरोध अधि0-1929, (2) सती (निवारण) अधि0-1987,(3) दहेज प्रतिषेध अधि0-1961 (4) अस्पृश्यता उन्मूलन अधि0-1955 का पालन कराना।
- समाज में विभिन्न प्रकार की प्रचलित रूढियों के परिणामों से समाज को जागरुक करना।
- अभिसूचना संकलन कर ऐसी रुढियों सम्बन्धी अपराधों में विधिक कार्यवाही करना।

आतंकवाद

अर्थ- राजनैतिक आर्थिक या धार्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जनसाधारण या शासक वर्ग के लोगों में भय उत्पन्न करना या हिंसा करना

आतंकवाद रोकने में पुलिस की भूमिका

- आधुनिक संसाधनों सहित प्रशिक्षण व्यवस्था।
- आधुनिक संसाधनों जैसे शस्त्र व वाहन आदि की उपलब्धता।
- अभिसूचनाओं का संकलन करना , विश्लेषण करना एवं कार्यवाही करना।
- संरक्षकों एवं शरण स्थलों को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही करना।

- संचार व्यवस्था को सुदृढ करना।
- थाना क्षेत्र में आये बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन करना।
- केन्द्रीय एवं राज्यों की गुप्तचर एजेंसियों से सम्पर्क रखना।
- आतंकवादियों को मिलने वाली सहायता के श्रोतों का पता करना तथा बंद करना।
- जन सहयोग प्राप्त करने के लिये जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- केन्द्रीय सुरक्षा बलों एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन में तालमेल रखना।
- आतंकवादियों के मनोबल को तोडने के लिये विरोधी प्रचार एवं मीडिया का समर्थन लेना।
- समाज की मुख्य धारा में जुडने वाले आतंकवादियों के पुर्नवास की व्यवस्था करना।

आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस की भूमिका

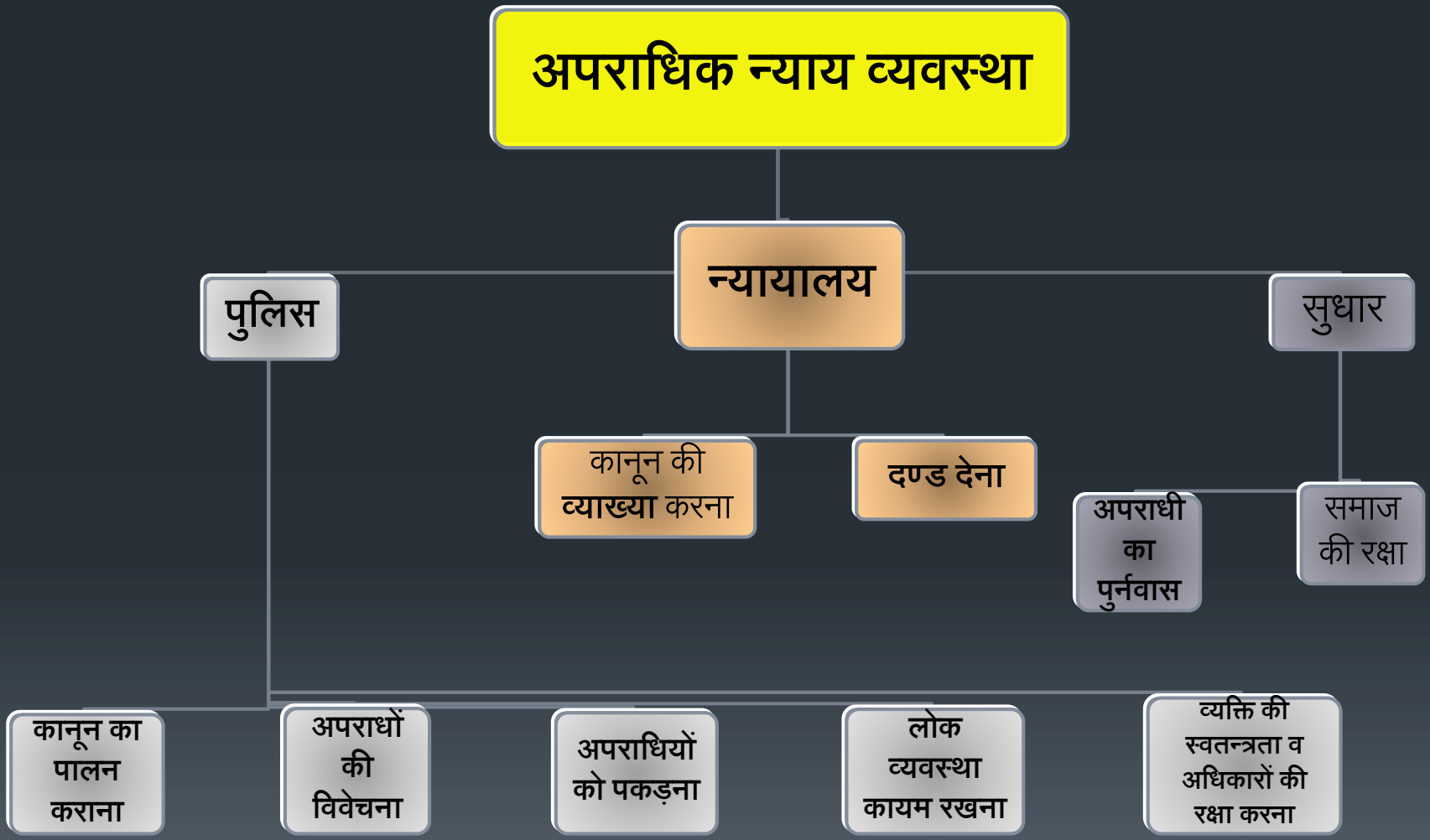

महिलाओं एंव बच्चों के विरूद्ध अपराध एंव पुलिस की भुमिका

महीलाओं के विरूद्ध होने वाले मुख्य अपराधः-

- **शारीरिक यातनाः-** जैसे भ्रुण हत्या, कन्या शिशु हत्या, कौटुम्बिक व्याभिचार, मार-पीट, बलात्कार, छेड खानी, शीलभंग आदि।
- **मनोवैज्ञानिक यातनाः-** मानसिक उत्पीड़न, घरेलू विवाद आदि।
- मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थय सुविधाऐं, पोषक आहार, शिक्षा तथा जीवन यापन के संसाधनों आदि से वंचित रखना।
- देह व्यापार एंव वेश्यावृति

महिलाओं के विरूद्ध अपराध रोकने हेतु भा0द0वि0 की मुख्य धाराऐं

- धारा 354 (A) (B) (C) (D) IPC
- धारा 376 (A) (B) (C) (D) IPC
- धारा 304 B
- धारा 498 A
- धारा 294
- धारा 509
- धारा 326, 326 A, 326 B

महिलाओं के विरूद्ध अपराध रोकने हेतु मुख्य अधिनियम

1. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
3. कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीड़न रोकने हेतु अधिनियम 2013
4. अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956
5. महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986
6. सती निवारण अधिनियम 1988
7. जन्मपूर्व निदान तकनीक (दुरूपयोग एंव निवारण) अधि0 1994
8. गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम-1977

बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराध

- जैसे भिक्षावृति के लिए अपहरण, घरेलू नौकर के रूप में बंधक बनाकर कार्य कराना होटल, ढाबों इत्यादि पर कार्य कराना, अगों की तस्करी के लिए अनैतिक व्यापार आदि।

बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराध रोकने हेतु IPC के प्रावधान

1. धारा 312 IPC - गर्भपात कारित करना
2. धारा 315 IPC - शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य
3. धारा 317 IPC - शिशु के माता पिता या अंगरक्षक द्वारा शिशु को अरक्षित डाल देना
4. धारा 363 (क) IPC भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तत्य का व्यवरहण
5. धारा 372, 373 IPC वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अव्यरक को बेचना, खरीदना

बच्चों के विरूद्ध अपराध रोकने हेतु बनाये गये मुख्य अधिनियम

1. अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम - 1956
2. बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम - 1976
3. लैगिंक अपराधो से बालकों का संख्या अधिनियम - 2012
4. बालश्रम उन्मूलन अधिनियम - 1986
5. किशोर न्याय अधिनियम - 2000
6. बाल विवाह निषेध अधिनियम - 2006

महिलाओं एंव बच्चों के विरूद्ध अपराध में पुलिस की भूमिका

- भावुक तथा कोमल हृदय वाले होने के कारण संवेदनशीलता तथा मित्रवत व्यवहार करना।
- इनमें सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- इनसे सम्बन्धित अपराधों का शत प्रतिशत पंजीकरण कर तत्परता से कार्यवाही करना।
- सम्बन्धित कानूनों की पूरी जानकारी रखना, अद्ययावधिक रहना।
- अपराधी को पैरवी कर अधिकतम सजा दिलाना।